(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर कैम्प श्रीगंगानगर

प्रार्थी अरुण कुमार आदि निवासी बनाम सरकार

अमरसिंह-रामजीलाल वगैरा वकील राज्य

किस्म मकदमा 251क नम्बर 13-6-18 36 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
13/6/18	संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अरुण कुमार आदि निवासीगण रामजीवाला ने प्रश्न राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" कैम्प कोई अदालसेवा केन्द्र श्रीगंगानगर में पेश ईश्वरी मान जिला कलक्टर महोदय श्री श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक F12(11)DM/17/373 दिनांक 15/1/18 की पालना में तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्व पत्रांक 1/राजस्व/18/117 दिनांक 25-1-18 से लिखा गया है तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/भू-अ/347 दिनांक 13-6-18 के द्वारा निम्न प्रकार रकबा में झगड़े पर शामलात की जमीन के चल रहा है। जो निम्न प्रकार से है कि चक	मु०न० (ख) 234/313	कि०न० 1-10-11 20-21	रकबा 0.125 है० नहरी	नामान्दी में खातेदार सन्तेरादेवी पु० मदनलाल-रामेश्वर लाल-सुरेन्द्र कुमार इन्द्रादेवी पि० मदनलाल जाति जाट सा०-पाटा खातेदार चक 44 NP	(7) 235/314	5/1, 6/1, 15/1, 16/1, 25/1	0.125 है० नहरी	राजपाल पु० बनवारीलाल कोम जाट सा०-लिखमेवाला उक्त रकबा में शामलात झगड़े पर चालू है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल करने की अभिशंसा तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16/6/18 में की है। तहसीलदार रायसिंहनगर PTO	

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट .....
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
13-6-18	

मैं अपनी रिपोर्ट दिनांक 13/6/18 के साथ पटवारी, व कानूनगो मौका, व फरियादी की जरिये व फर्द बयान कलमबन्द आदि मूल दी सलंग की है। व बयान फरीकान किया गया। प्रचलित राह प्रार्थित को पढ़कर सुनाया गया। मौके पर तहसीलदार राजसमन्द के हाथ में दस्ती रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थित रास्ता मौके पर चालू है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015-2016 के परिपेक्ष्य राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प-3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10/8/2016 व जिला कलक्टर श्री गंगानगर के पत्र क्रमांक F-12(11)() राजस्व/6/ 5758-802 दिनांक 16/8/16 की पालना में उक्त रास्ता माप्ती प्रयोजन (30-40 वर्ष) से चालू का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना समीचीन है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट दिनांक 13/6/18 प्रचलित प्रार्थित रास्ता चालू पुराना का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे के आदेश दिये जाते है। इसी आशय का आदेश तहसीलदार राजसमन्द के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज होकर नियमानुसार सीबल डंफर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले मंचका-एम आम में सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट ....राजसमन्द....
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) राजसमन्द